रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262739
CG-DL-E-28042025-262739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1871]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947
No. 1871]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

का.आ. 1913(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4047(अ), 11 नवम्बर, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4047(अ), 11 नवम्बर, 2020 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4047(अ), 11 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	जिला कलक्टर, सिरोही	- अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	उपखंड अधिकारी, माउंट आबू	- सदस्य, *पदेन*;
(iii)	उपखंड अधिकारी, सिरोही	- सदस्य, *पदेन*;
(iv)	उपखंड अधिकारी, रेवदर	- सदस्य, *पदेन*;
(v)	उपखंड अधिकारी, आबूरोड	- सदस्य, *पदेन*;
(vi)	सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू	- सदस्य, *पदेन*;
(vii)	मानद वन्यजीव वार्डन, माउंट आबू, सिरोही	- सदस्य, *पदेन*;
(viii)	प्रत्येक तीन वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	- सदस्य,
(ix)	प्रत्येक तीन वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	- सदस्य,
(x)	प्रत्येक तीन वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	- सदस्य,
(xi)	अध्यक्ष, नगर पालिका, आबू रोड	- सदस्य, *पदेन*;
(xii)	प्रधान, पंचायत समिति, आबू रोड	- सदस्य, *पदेन*;
(xiii)	प्रधान, पंचायत समिति, रेवदर	- सदस्य, *पदेन*;
(xiv)	प्रधान, पंचायत समिति, पिंडवाड़ा	- सदस्य, *पदेन*;
(xv)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), माउंट आबू	- सदस्य सचिव, *पदेन*।"

[फा. सं. 25/55/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 11 नवम्बर, 2020 को का.आ. 4047 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

S.O. 1913(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Mount Abu Wildlife Sanctuary, Rajasthan in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4047(E), dated the 11th November, 2020;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 4047(E), dated the 11th November, 2020;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 4047(E), dated the 11th November, 2020, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following persons, namely: -

(i)	District Collector, Sirohi	Chairman, *ex officio;*
(ii)	Sub Divisional Officer, Mount Abu	Member, *ex officio*;
(iii)	Sub Divisional Officer, Sirohi	Member, *ex officio*;
(iv)	Sub Divisional Officer, Revder	Member, *ex officio*;
(v)	Sub Divisional Officer, Abu Road	Member, *ex officio*;
(vi)	Secretary, Urban Improvement Trust, Abu	Member, *ex officio*;
(vii)	Honorary Wildlife Warden, Mount Abu, Sirohi	Member, *ex officio*;
(viii)	one representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government for a period of three years	Member;
(ix)	one expert in Biodiversity to be nominated by the State Government for a period of three years	Member;
(x)	One expert in the area of ecology from reputed institution or university of the State to be nominated by the State Government for a period of three years.	Member;
(xi)	Chairperson, Nagarpalika, Abu Road	Member, *ex officio*;
(xii)	Pradhan, Panchayat Samiti, Abu Road	Member, *ex officio*;

(xiii)	Pradhan, Panchayat Samiti, Revder	Member, *ex officio*;
(xiv)	Pradhan, Panchayat Samiti, Pindwara	Member, *ex officio*;
(xv)	Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Mount Abu	Member-Secretary, *ex officio.”.*

[F. No. 25/55/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 4047(E), dated the 11th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA